


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादीवा महेशपुरी पुत्री मेघापुरी जाति गुंसाई निवासी चितावा	ब ना म	प्रतिवादी राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
-----------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------

राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत
वाद-पत्र नम्बर- 141 / 2022 GCMS No. 2022/287

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

10.08.2022 वादी/प्रार्थी महेशपुरी पुत्र मेघापुरी जाति गुंसाई निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी एक प्रार्थना-पत्र/वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 के तहत प्रस्तुत किया। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 13.08.2022 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)


13/8/2022

प्रकरण आज लोक अदालत में पेश हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी महेशपुरी पुत्र मेघापुरी जाति गुंसाई निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा के खाता नम्बर 230 खसरा नम्बर 1271/914, 916, खाता संख्या 229 खसरा नम्बर 896, 897, 899, 900, 901, खाता संख्या 858 खसरा नम्बर 1205/917, 912, 913 मे वादी/प्रार्थी के पिता का नाम मेवापुरी पुत्र रतनपुरी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी/प्रार्थी प्रार्थी के पिता का नाम मेघापुरी पुत्र रतनपुरी नाम सही है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा पहचान पत्र RJ/25/195/09633, मृत्यु प्रमाण पत्र रजि. सं. 32/2008 दिनांक 15.10.08 ग्राम पंचायत चितावा द्वारा जारी की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी हल्का चितावा भू.अ.नि चितावा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी के पिता का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

243-244